



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-३, नरेगा)

क्र. एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / भा.स. / मा.द. / 2010-11

जयपुर, दिनांक:

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

E 4 FEB 2011

सिंगा, अधिकारों को प्रार्थना चक्रवर्ति द्वारा उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था करने बाबत।

प्रानको वर्ग काग पृष्ठ ३८० उत्तरा
प्राप्ति: विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 31.01.2011

महोदय

महादय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा श्रमिकों को फार्म नं. 6 उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु निर्देश जारी किये गये थे। इस पत्र के कम में निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत स्तर पर पत्र में उल्लेखित किसी भी स्थान पर यदि कोई श्रमिक आकर मौखिक रूप से महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत कार्य करने हेतु निवेदन करे तो निर्धारित स्थानों पर कार्यरत राजकीय कर्मचारी या प्रतिनिधि उस श्रमिक के लिए फार्म नं. 6 स्वयं भरकर श्रमिक के हस्ताक्षर या अगृंठ निशानी लगवायेंगे। इस बाबत प्रशिक्षण के दौरान सभी राजकीय कर्मचारी या प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जावे।

भवदीय

M3n. 3/2/11

(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक प्रथम महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
 3. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक द्वितीय महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
 4. ग्राम पंचायत कार्यालय/राजकीय विधालय/आशा सहयोगिनी/आंगनबाड़ी केंद्र/ उपस्वास्थ्य घर/पटवार घर/निरीक्षक भू— अभिलेख (गिरदावर), ग्राम रोजगार सहायक/ग्राम सेवक/सरपंच।

अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस